Form No. III

न्याय आपके द्वार अभियान वर्ष 2016

कार्य अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी कैम्प नारसाई

जोगा पुग चेना बनाम तहसीलदार देसूरी

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 70 सन् 2016

2016/00177

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/6/16	वादी ने प्रार्थना न्याय आपके द्वार कैम्प नारसाई पेश की। वादी ने एकवाद अन्तर्गत धारा 88 RT Act प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गत जमाबन्दी सं. 2022 से 25 के खाता सं. 183 अनुसार खसरा सं. 629, 630, 628, 627 कुल रकबा 71-08 बीघा मना, चेना की कसा 1/2 हिस्सा दर्ज था रेकर्ड अनुसार मना, चेना दोनों सगे भाई है अर्थात 1/10, 1/10 हिस्सा होते है। चेना पुग कसा फौत होने से नामान्तकरण 574 दायर हुआ। जिसमें जोगा पुग का नाम दर्ज हुआ। पुराने खसरा 627 से 630 के नये खाते में 2297 से 2315 तक के रकबे में विभाग ने दर्ज किये। परन्तु जमाबन्दी के दोनों के हिस्से अलग 2 दर्ज नहीं हुए खातेदार फौत होने पर पटवारी ने नामान्तकरण दर्ज होने से खातेदार अधिक होने से 1/5 हिस्सा दर्ज है अतः कसा के दोनों पुगों के नाम 1/10-1/10 हिस्सा दर्ज करावे। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार देसूरी को रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड बन्दोबस्त अनुसार मानाराम पुत्र देवा, ऐजी पत्नी देवा, सोडवी, भेकरी, सुगना पुत्री देवा, बछसाल पुत्र कालूराम, छोगली बेवा श्रीमा वगैरहान 1/10 हिस्सा एवं जोगा पुग चेना का 1/10 हिस्सा दर्ज करना एवं शेष खाता बदस्तूर रखा जाना उचित रहेगा। हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन करने पाया कि कसा के रोकी पुग मना व चेना का 1/10, 1/10 हिस्सा दर्ज करना उचित प्रतीत होता है।	

न्याय आपके द्वार अभियान उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो की तामील में जारी

अद्वा नई जमाबंदी मौजा नारलाई के खाता नं 350 (सम्वत 2070-73) के बाबत मौका अजूबार भानाराम पुत्र देवा एजन्सी पानिदेवा, लाईची, भूरी, सुगना पुत्र पीपादेवा, बाबूलाल पुत्र रोगाराम, छोगी बेवा श्रीमा, रेखा पुत्र श्रीमा, सुजा पुत्र खीमा, कस्तु, हजा पुत्र पीपा खीमा, मोडाराम, मोगीलाल श्रीराम, धनाराम पि० भूरा, केहरी पान्ची भूरा, कन्या, सुमली पुत्री भूरा, चमना, चेला देवा पुत्र भाना हिस्सा 1/10, जोगाराम पुत्र चेला 1/10 हिस्सा दर्ज करने के आज्ञा दिये जाते है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तद्नुसार रजाब बही में अमल दरामद करने तहसीलदार को तहरीर जारी हो। फागली इमी कर फसलशुमार होकर छोड़ तक्सीम जाबता लेख मजकूर जमा हो।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2018
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
केम्प .....